

2025/714

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 4227

दिनांक 05/12/2025

उपरोक्त प्रकरण - जमीन बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 321 / 2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयानुसार लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक 15 / भूअ. / 2025 दिनांक 09/12/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत गिजवाये गये राजस्व ग्राम कोसडा पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में भूमे खाता संख्या 2719 में खातेदार जयदीप का भूमे खाता के स्थान पर जयदीप का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का हल्का श्रीमाधोपुर उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को गिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 05/12/2025

क्रमांक / रीडर / 2025 / 4228-29

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।

2 पटवारी हल्का हल्का श्रीमाधोपुर

तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)



2025/14

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमानजी प्राची का ग्राम कोलवा की जमाबंदी के भूमि खाता सं. 279 में लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगूराम अस्तुष्ट दर्ज है। जबकि संपन्न दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक में प्राची का नाम लक्ष्मणराम पुत्र गंगूराम दर्ज है। अतः श्रीमानजी उक्त दस्तावेज के आधार पर भूमि खाता सं. 279 में प्राची का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगूराम के वनाय लक्ष्मणराम पुत्र गंगूराम शुद्ध किया जाना अविलंब होगा।

9/10/25

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

31/10/25
8-10-25
D. S. D. S.

कोश
15
9-10-25

उक्त रिपोर्ट U. हलका व अचिलेड निरीक्षण की
उत्पत्ति शुद्धि की अनिवार्यता प्राची

तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

आदेश

पटवारी हलका शिमारताजागीर व भू. अ. नि. वृत्त महरोली की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम कोलवा के खाता सं. 279 में दर्ज लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगूराम के स्थान पर लक्ष्मणराम पुत्र गंगूराम दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

उपस्थित अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित अधिकारी

321
15/10/25